छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

अधिसूचना

नवा रायपुर, दिनांक 8 जनवरी, 2020

क्रमांक एफ 20–01/2019/11/6 राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 20–1/2019/11(6), दिनांक 31.10.2019 द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 दिनांक 01 नवंबर, 2019 से लागू की है, जिसकी कंडिका क्र. 15.14 में उद्योगों को सशर्त औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी दिया है। अतएव औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान/छूट/रियायतों के संबंध में जारी छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी निम्नांकित अधिसूचनाओं में कॉलम–4 ''संशोधन'' में दर्शाये अनुसार अतिरिक्त कंडिकाएं इस अधिसूचना के क्र. 2 अनुसार कंडिका जोड़े जाने का आदेश दिया जाता है :–

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	नियम	संशोधन
1.	2.	3.	4.
1.	एफ 20–31/2015/11/(6), दिनांक 04.06.2015	छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–5, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका
2.	एफ 20–68/2015/11/6, दिनांक 21.08.2015	छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–5, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका
3.	एफ 20–24/2015/11/(6), दिनांक 07.05.2015	औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत	नियम के बिन्दु 4 के पश्चात् अतिरिक्त बिन्दु 5
4.	एफ 20–82/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015	छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–5, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका
5.	एफ 20–81/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015	छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–3, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका
6.	एफ 20–83/2015/11/(6), दिनांक 28.09.2015	छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–4, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका

7.	एफ 20–23/2016/11/(6), दिनांक 22.07.2017	छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–4, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका
8.	एफ 20–54/2015/11/(6), दिनांक 17.06.2015	छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–4, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका
9.	एफ 20–63/2015/11/(6), दिनांक 17.06.2015	छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–5, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका

2– जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों अथवा सेवा उद्यमों के द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15.14 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार औद्योगिक नीति 2014–19 के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का विकल्प निर्धारित समयावधि के भीतर चुना गया है, उन्हें इस अधिसूचना के अन्तर्गत अनुदान की पात्रता होगी, किंतु इस हेतु उन्हें उद्यम आकांक्षा/आई. ई. एम. जारी होने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्योग के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्योग के मामने में चार वर्ष, एवं अन्य उद्योगों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करना होगा।

3– यह अधिसूचना 01 नवम्बर, 2019 से प्रभावशील मानी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

अधिसूचना

नवा रायपुर, दिनांक जनवरी, 2020

क्रमांक एफ 20–01/2019/11/6 राज्य शासन एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 20–1/2019/11(6), दिनांक 31.10.2019 द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 दिनांक 01 नवंबर, 2019 से लागू की है, जिसकी कंडिका क्र. 15.14 में उद्योगों को सशर्त औद्योगिक नीति 2014–19 में प्रावधानित अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त करने का विकल्प भी दिया है। अतएव औद्योगिक नीति 2014–19 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अनुदान/छूट/रियायतों के संबंध में जारी छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी निम्नांकित अधिसूचनाओं में कॉलम–4 "संशोधन" में दर्शाये अनुसार अतिरिक्त कंडिकाएं इस अधिसूचना के क्र. 2 अनुसार कंडिका जोड़े जाने का आदेश दिया जाता है :–

क्र.	अधिसूचना क्रमांक	नियम	संशोधन
1.	2.	3.	4.
1.	एफ 20–31/2015/11/(6), दिनांक 04.06.2015	छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–5, "पात्रता" में अतिरिक्त उपकंडिका
2.	एफ 20–68/2015/11/6, दिनांक 21.08.2015	छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–5, "पात्रता" में अतिरिक्त उपकंडिका
3.	एफ 20–24/2015/11/(6), दिनांक 07.05.2015	औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत	नियम के बिन्दु 4 के पश्चात् अतिरिक्त बिन्दु 5
4.	एफ 20–82/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015	छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–5, "पात्रता" में अतिरिक्त उपकंडिका
5.	एफ 20–81/2015/11/(6), दिनांक 24.09.2015	छत्तीसगढ़ राज्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–3, "पात्रता" में अतिरिक्त उपकंडिका
6.	एफ 20–83/2015/11/(6), दिनांक 28.09.2015	छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेंट अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–4, "पात्रता" में अतिरिक्त उपकंडिका

7.	एफ 20–23 / 2016 / 11 / (6), दिनांक 22.07.2017	छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–4, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका
8.	एफ 20–54 / 2015 / 11 / (6), दिनांक 17.06.2015	छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–4, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका
9.	एफ 20–63 / 2015 / 11 / (6), दिनांक 17.06.2015	छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान नियम–2014	नियम की कंडिका क्रमांक–5, ''पात्रता'' में अतिरिक्त उपकंडिका

2– जिन सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों अथवा सेवा उद्यमों के द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15.14 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार औद्योगिक नीति 2014–19 के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का विकल्प निर्धारित समयावधि के भीतर चुना गया है, उन्हें इस अधिसूचना के अन्तर्गत अनुदान की पात्रता होगी, किंतु इस हेतु उन्हें उद्यम आकांक्षा / आई. ई. एम. जारी होने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में दो वर्ष, मध्यम उद्योग के मामले में तीन वर्ष, वृहद उद्योग के मामने में चार वर्ष, एवं अन्य उद्योगों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष के भीतर प्रस्तावित परियोजना को पूर्ण करना होगा।

3– यह अधिसूचना 01 नवम्बर, 2019 से प्रभावशील मानी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग